कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2600 / 1जी–FP/UK/ROAD/10696/2015 देहरादूनः दिनांकः 18 मार्च, 2015

सेवा में,

अपर सचिव, वन
उत्तराखण्ड शासन

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक – बॉस मोटर मार्ग (पोखरी) से रतवाली (ततरोडा) मोटर मार्ग – 0.955 है0 आरक्षित, सिविल एवं पंचायती वन भूमि हस्तांतरण **(FP/UK/ROAD/10696/2015)**

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,

(एस.टी.एस.लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

संख्या : / 1जी–FP/UK/ROAD/10696/2015 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड
2. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल
3. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग / पी0एम0जी0एस0वाई, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा
5. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग
6. अधिशासी अभियंता, प्रा0ख0, लो0नि0वि, पिथौरागढ़

(एस.टी.एस.लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नामः

जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक – बॉस मोटर मार्ग (पोखरी) से रतवाली (ततरोडा) मोटर मार्ग – 0.955 है0 आरक्षित, सिविल एवं पंचायती वन भूमि हस्तांतरण (FP/UK/ROAD/10696/2015)

1. **टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):**

उपरोक्त योजना हेतु पिथौरागढ़ वन प्रभाग में चण्डाक कक्ष सं0 2 में 0.045 है0 आरक्षित वन भूमि, रतवाली वन पंचायत में 0.28 है0 पंचायती वन भूमि तथा 0.63 है0 सिविल वन भूमि कुल 0.955 है0 वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मार्ग निर्माण में वृक्ष आच्छादित भूमि को न्यूनतम रखने का प्रयास किया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित आरक्षित, सिविल एवं पंचायती वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त ने भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की है। अतः 1 है0 से कम वन भूमि हस्तांतरण तथा प्रभावित वृक्षों की संख्या 50 वृक्ष प्रति है0 से कम होने के मद्देनज़र, जनहित में उपरोक्त वन भूमि हस्तांतरण की सैद्धांतिक स्वीकृति राज्य सरकार स्तर से प्रदान करने हेतु संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः [signature]

नाम व पदनामः (एस0टी0एस0लेप्चा भा.व.से)
अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं
नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

सरकारी मोहरः अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

तिथि : 18 / 03 / 2015
स्थानः देहरादून